

## चिकित्सा सेवा में सहपराधिता

# तथ्य संकलन की आवश्यकता एवं उन्मूलन के उपाय पर कार्यक्रम

रायपुर। प्रदेश के विभिन्न समूहों ने हितधारक के रूप में भारतीय चिकित्सा सेवा में सह-पराधिता के मददेनजर प्रभावी विनियमन की आवश्यकता विषय पर राज्यस्तरीय बैठक का आयोजन किया।

संस्था सूत्रा और कट्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में हित-ग्राही मीडिया के लोग और शासन के प्रतिनिधि शामिल हुए। कट्स के रिजिल सेन गुप्ता ने परियोजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्था का उद्देश्य समाज को चिकित्सा सेवा में फैले मिली-भगत के मकड़ जाल से बचाना है। डॉ. कमलेश जैन ने चिकित्सा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों पर जानकारी दी और बताया कि किस तरह इसका

लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किस तरह चिकित्सा सेवा की उन्नत पद्धति केवल बड़े शहरों तक सीमित है और विभिन्न कार्य-

कारी संगठन किस प्रकार लोगों तक सीधी पहुंच बनाकर उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं। उन्होंने सेवा प्रणाली में भ्रष्टाचार को एक बड़ी समस्या स्वीकार

किया और मीडिया से आग्रह किया कि इसके उन्मूलन के लिये उचित प्रयास करें। लोकोष्ठ के श्रीनिवासन ने सह-पराधिता के तथ्य संकल्पन को आवश्यक बताते हुए इससे होने वाली दुष्प्रभाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत जन सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकता है जो महंगाई चिकित्सा सेवा के आड़े आ रही है उसे रोका जा सकता है। कार्यक्रम में अनेक लोगों ने सवाल किये जिनमें सबसे अधिक सवाल यही था कि उच्च सेवा कम कीमत में कैसे प्राप्त होगी। जानकारों ने इसका उपाय बताते हुए कह कि प्रभावी विनियमन और स्वयं सेवी संस्थानों की भागीदारी प्रमुख भूमिका निभायेगी।